

दूरभाष / Tele.: 0364-2223320
फैक्स / FAX: 0364-2223170/2224937
ई-मेल / E-Mail: megh.gdc.soi@gov.in



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR
मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश
MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH
भू - स्थानिक आंकड़ा केंद्र z GEO-SPATIAL DATA CENTRE
डाक पेटी सं. ८९ POST BOX NO. #89
माल्की, शिलांग & ७९३००३ MALKI, SHILLONG - 793 001
मेघालय, भारत, MEGHALAYA, INDIA

इस पत्रका उत्तर मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी. के पते पर भेजना चाहिये, किसी अधिकारी के नाम से नहीं। उत्तर देते समय इस पत्र की सं. और दिनांक दी जानी चाहिये।
Any reply to this letter should be addressed to the Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, not to any officer by name. The No. & date of this letter should be quoted.

नेमी आदेश संख्या - (प्रशासनिक), दिनांक: OCT., 2022

ROUTINE ORDER NO. 11 (ADM), DATED 18 OCTOBER, 2022

1. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पे अनोपचारिक आधार पर पदोन्नति।
PROMOTION TO THE POST OF SUPERINTENDING SURVEYOR ON AD-HOC BASIS.

निचे दिए गए अधिकारी सर्वेक्षक को अनोपचारिक आधार पे अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर, जिसका वेतन-स्तर 11 तथा वेतन मैट्रिक्स (pre-revised in PB-03 of Rs. 15,600-39,100 + GP of Rs. 6,600) कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष तक या सेवानिवृत्ति की तारीख जो भी पहले हो और अगले आदेश तक पदोन्नति की जाती है और इसका प्रभाव उनके नाम के आगे दिए गए दिनांक से होगा।

The undermentioned Officer Surveyor is hereby promoted to the post of Superintending Surveyor on purely Ad-hoc basis in the level 11 of Pay Matrix (pre-revised in PB-03 of Rs. 15,600-39,100 + GP of Rs. 6,600) for period of one year from the date of assuming the charge or retirement whichever is earlier and until further orders: -

Sl. No.	Name	Present Post	Post to which Promoted	Level in Matrix	Date of effect
1.	Shri Rup Kumar Das	Officer Surveyor	Superintending Surveyor (Ad-hoc)	Level-11	10-10-2022

(ii) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही/सतर्कता मामला/दंड लखित नहीं है।
Certified that no disciplinary proceeding / vigilance case/ punishment is pending against him.

(iii) अधिकारी सर्वेक्षक की तदर्थ पदोन्नति एसजी के पत्र संख्या सी-6156/853-एसएस दिनांक 20/21-09-2022 के पैरा (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा।
The ad-hoc promotion of the Officer Surveyor will be subjected to the conditions mentioned in para (2) of SG's letter No. C-6156/853-SS dated 20/21-09-2022.

(iv) उपर दिए गए अधिकारियों का वेतन कार्यालय के प्रमुख द्वारा निश्चित किया जायेगा।
Pay of the above officer will be fixed by the Head of Office as per rule in vogue.

(v) शामिल अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान के भीतर से पूरा किया जाएगा और उपयुक्त लेखा शीर्ष में डेबिट किया जाएगा।
The extra expenditure involved will be meet from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2022-2023 and debited to the appropriate Head of Account.

(Authority: - SG's letter No. C-6156/853-SS dated 20/21-09-2022)

2. दंड:

PUNISHMENT:

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने सीसीएस (सीसी एंड ए) नियम, 1965 के नियम 12 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (मामूली शास्ति) श्री अंशुमन सरकार, अधिकारी सर्वेक्षक को "बिना संचयी प्रभाव के दो वर्ष की अवधि के लिए वेतन की एक वेतन वृद्धि को रोकने" का दंड प्रदान किया है।

As a result of disciplinary action under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Competent Authority in exercise of the powers conferred under Rule 12 (2) of the CCS (CC&A) Rules, 1965 has awarded (Minor penalty) to Shri Ansuman Sarkar, Officer Surveyor the penalty of "withholding of one increment of pay for a period of two years without cumulative effect."

(Authority: S.G.'s letter No. Vig-6238/1196-PF (Ansuman Sarkar) dated 22-09-2022)

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने सीसीएस (सीसी एंड ए) नियम, 1965 के नियम 12 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (मामूली जुर्माना) श्री अभिजीत दास, अधिकारी सर्वेक्षक को निम्नलिखित दंड दिया जाता है :

- (1) "संचयी प्रभाव के बिना तीन साल की अवधि के लिए वेतन की अगली वेतन वृद्धि को रोकना।"
- (2) श्री अभिजीत दास, अधिकारी सर्वेक्षक, सीसीएस (एलटीसी) नियम 1988 के नियम 16(1) और 16(2) के तहत, पूर्ण एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए एलटीसी का दावा करने से भी यानी एक होम टाउन और एक भारत में कहीं, भी वंचित किया जाता है।

As a result of disciplinary action under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Competent Authority in exercise of the powers conferred under Rule 12 (2) of the CCS (CC&A) Rules, 1965 has awarded (Minor penalty) to Shri Abhijit Das, Officer Surveyor the following penalties:

- (1) "withholding of next increment of pay for a period of three years without cumulative effect."
- (2) Shri Abhijit Das, Officer Surveyor, under Rule 16(1) & 16(2) of CCS (LTC) Rules 1988, shall also be debarred from claiming LTC for self and family members for full LTC block year 2022-2025 i.e. one to home town & one to any place in India.

(Authority: S.G.'s letter No. Vig-6237/1196-PF (Abhijit Das) dated 22-09-2022)

रंजन नेगी
18/10/22

(कर्नल रंजन नेगी)

निदेशक,

मेघालय एवं अरु. प्रदेश जी.डी.सी.

Distribution:-

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for kind information please.
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for kind information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <admn.soi@gov.in>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E.&A.O, Meg. & Ar. P. GDC for information and necessary action w.r.t. entry in the service record of the concern officers.
6. File: 37-G-9/3-D-2/2-A- Abhijit Das (Conf.)/ 2-A-Ansuman Sarkar (Conf.)